

ग्राहकों द्वारा बैंक को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जमा किए गए 15जी/15एच फॉर्म वित्तीय वर्ष 2020-21 के 30.06.2020 तक मान्य रहेंगे। तदनुसार, Covid-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के बाद ग्राहक यथाशीघ्र वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15जी/15एच फॉर्म जमा करें।